दहेज अपराध के सम्बन्ध में भा0द0सं0 की धारा 498–क का समीक्षात्मक मूल्यांकन

पवन कुमार

धारा 498क को भारतीय दण्ड संहिता में शामिल किये काफी समय बीत गया है, मगर बीच में समय–समय पर इसकी उचित समिक्षा एवं संशोधन के लिए प्रभावी कदम नही उठाए गए। अब समय आ गया है जब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को धारा 498क सहित घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न से जुड़े तमाम अन्य अधिनियमों की आवश्यक समीक्षा तथा उनमें संशोधन के लिए परस्पर समन्वय, संवाद व सहभागिता के साथ काम करना चाहिए। भारतीय संदर्भ में दहेज, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि को सही ढ़ंग से परिभाषित तथा वर्गीकृत किये जाने की बेहद आवश्यकता है क्योंकि इससे इन मामलों से जूड़े कानूनों के सही मापदण्ड बनाने, प्रभावी नीति निर्धारण व क्रियान्वयन करने में भी मदद मिलेगी साथ ही अपराध की प्रकृति स्वरुप एवं सजा तय करने में भी आसानी होगी अतः जाहिर है कि बदलते दौर में विवाह, दहेज एवं घरेलू हिंसा के संदर्भ में बनाये गये अधिनियमों को पुर्नपरिभाषित एवं पुर्नस्थापित करने की अत्यन्त आवश्यकता है

धारा 498क के प्रावधानों में कुछ लचीलापन अवश्य लाया जाना चाहिए, मसलन इसे जमानती श्रेणी में लाया जा सकता है अथवा बेवजह झूठे आरोप–प्रत्यारोप लगाने पर महिला के विरूद्ध भी कानूनी प्रावधान बनाने जाने चाहिए। धारा 498क के अन्तर्गत दर्ज वादों की असलियत तलाशें और पारिवारिक विवाद की वजह दहेज उत्पीड़न से अलग कुछ और पायी जाती है तो फिर बाद में इस प्रकार के मुकदमों को धारा 498क से बदलकर भारतीय दण्ड संहिता की किसी अन्य सम्बद्ध धाराओं के अन्तर्गत दर्ज करें। इस बात के प्रयास किये जाने चाहिए कि कोई भी कानून लोगों में भय के बजाय उन्हें अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सजग बनाने में मद्दगार हो।